

**झारखंड सरकार**  
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**  
**अधिसूचना**

संख्या: 12/पद०-05-02/2013 का० /राँची, दिनांक / /2018 ई०।  
/विभागीय अधिसूचना संख्या-12304  
दिनांक-15.12.2017 के द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री मो० रूस्तम अंसारी, आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ए०सी०बी०, 2 बूटी रोड, राँची में की गई प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए इनकी सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को वापस की जाती है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(संजय कुमार दूबे)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-12/पद०-05-02/2013 का० /राँची, दिनांक- / /2018 ई०।


प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-12/पद०-05-02/2013 का० 5666 / राँची, दिनांक- 30/7/2018 ई०।

प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव(व्यय), योजना-सह-वित्त विभाग(सांस्थिक वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची/पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो(C.B.I.), ए०सी०बी०, 2 बूटी रोड, राँची-834008/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची तथा श्री मो० रूस्तम अंसारी, आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची (संप्रति प्रतिनियुक्त-केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो(C.B.I.), ए०सी०बी०, 2 बूटी रोड, राँची) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
30/7/18

सरकार के अवर सचिव।